कार्यवृत्त

बुधवार, 26 फाल्गुन, शक संवत्, 1937
(दिनांक : 16 मार्च, 2016)

खण्ड–44
अंक–6

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि आज की कार्यसूची में 09 प्रश्न विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त कर दिये गये हैं। जिस पर आपकी व्यवस्था अपेक्षित है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि सरकार नियत समय के अन्दर जवाब उपलब्ध कराये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त 16 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 07 सूचनाएं स्वीकृत हुईं एवं पढ़ी गईं:–

1 श्री मालचन्द	उत्तराखण्ड सदन नई दिल्ली में खाली पड़े हॉल में पूर्ण रूप से उत्तराखण्ड व्यंजनों से सुशोभित खाना, खाद्य सामग्री, निर्मित कपड़े, फल व सब्जियों के उप केन्द्र की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।
2. श्री बंशीधर भगत (पढ़ी हुई मानी गई)	विधान सभा क्षेत्र कालाढूंगी में कोटाबाग, चकलुवा से लेकर हल्द्वानी तक हाथी तथा जंगली जानवरों की सुरक्षा हेतु तार बाड़ एवं मुआवजा निर्धारित करने के संबंध में।
3. श्री पूरन सिंह फर्त्याल (पढ़ी हुई मानी गई)	राजकीय नवोदय विद्यालय की समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में।
4. श्री विशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधान सभा के अन्तर्गत डीडीहाट–दूनाकोट मोटर मार्ग व डीडीहाट–आदिचौरा मोटर मार्ग में अवैध खनन से आये दिन सड़क मार्ग बन्द रहने से क्षेत्र के लोगों में उत्पन्न रोष के संबंध में।
5. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम पंचायत कण्डोली के मजरा पावावली के अन्तर्गत गूलाटा नदी पर पुल का निर्माण न किये जाने से ग्राम पंचायत के निवासियों में उत्पन्न आक्रोश के संबंध में।
6. श्री संजय गुप्ता	विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत पचेवेली के पंचलेश्वर महादेव मन्दिर पर एक कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग के संबंध में।

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री तीरथ सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा की नियम–300 की सूचना हेतु नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य अनुपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम–310 के अन्तर्गत प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टचार के कारण प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त होने विषय पर विपक्ष के सदस्यों की सूचना प्राप्त हुई है। वे इस विषय को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2011–2012 एवं 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन को (ए0टी0आर0 सहित) सदन के पटल पर रखा।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के नगर पालिका क्षेत्र खटीमा में एक वाचनालय खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री अमित कुमार पाण्डे, जिला महामंत्री भा0ज0यु0मो0, निवासी नगर पालिका क्षेत्र खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के पट्टी सकलाना में ग्राम भरवाकाटल एवं ग्राम श्रीपुर (कुमाल्डा) में सिंचाई कर के सम्बन्ध में" श्री जगदीश दास, निवासी ग्राम प्रधान भरवाकाटल, पो0 कुमाल्डा जौनपुर, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत नौगॉव में पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह रौतेला, निवासी ग्राम नाघर, पो0 दोफाड, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड़ के ग्राम पंचायत भेटा कुटोलिया का नाम संशोधित कर ग्राम पंचायत का नाम भेटा गूंठ कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री पवन कुमार लोहुमी, निवासी ग्राम व पो0 भेटा तहसील गरूड़, विकास खण्ड कपकोट, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम ससोला हथरसिया के बीच (सिमकुना) में ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं कक्षा संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री पीताम्बर पन्त, निवासी ग्राम हथरसिया (विजयपुर), जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत खन्तोली में ए0एन0एम0 केन्द्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में" श्री एन0सी0 पन्त, निवासी ग्राम व पो0 खन्तोली, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत पन्द्रहपाली में पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रमेशचन्द्र सिंह हरडिया, निवासी ग्राम व पो0 पन्द्रहपाली, तहसील एंव जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत नौगांव प्रथम में प्राथमिक विद्यालय के जीर्ण–शीर्ण भवन के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सुन्दर सिंह रौतेला, निवासी ग्राम नागर व पो0 दोफाड़, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत सिलाटी बनैगांव में कृषि भूमि को सिंचित करने हेतु सिंचाई व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री सूरज कुमार, निवासी ग्राम व पो0 उपराड़ा तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत हडबाड़ के तोक ठाडीगाड़ में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती तारा देवी, निवासी ग्राम़ व पो0 हडबाड़, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिक उपस्थित की गई।

नियम–65 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद हरिद्वार के रूड़की तहसील के अन्तर्गत कुछ लोगों ने या कुछ अधिकारियों ने मिलकर सीधे–साधे ग्रामीणों से सैकड़ों बीघा जमीन हड़पने विषयान्तर्गत, इसी सदन में दिये गये निर्देश पर कोई कार्यवाही न होने संबंधी विशेषाधिकार हनन की सूचना दी। राजस्व मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने नियम–65 की सूचना को अस्वीकार किया।

नियम–65 के अन्तर्गत श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा ने सूचित किया कि 13 मार्च, 2016 को मेरे विधान सभा क्षेत्र के कार्यक्रम में आमन्त्रित न किये जाने पर विशेषाधिकार हनन की सूचना दी। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से असन्तुष्ट होकर राजकुमार ठुकराल 'वेल' में आकर अपनी बात जोर–जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि कृपया स्थान ग्रहण करें। इस संबंध में परीक्षण कर कार्रवाई की जायगी तथा सरकार को निर्देशित किया कि भविष्य में इस प्रकार की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाए।

नियम–65 के अन्तर्गत श्री सहदेव पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा ने सहसपुर में डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 2015 के उपवेशन में तथा दिनांक 11 मार्च, 2016 के उपवेशन में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में विरोधाभास पर विशेषाधिकार की सूचना दी। संसदीय कार्य मंत्री तथा कृषि मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अस्वीकार किया।

नियम–65 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा ने उपनल कार्मिकों को नियमित करने की घोषणा पर पालन न किए जाने पर विशेषाधिकार हनन की सूचना दी। कृषि मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना का अस्वीकार किया।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को वह नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार करते हैं।

प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त होने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक, श्री बंशीधर भगत व श्री गणेश जोशी ने अपने विचार व्यक्त किये। नेता सदन व अन्य मा0 सदस्यों को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने

उक्त सूचना को अग्राह्य किया। भाजपा के सदस्य उत्तर भाषण से असंतुष्ट होकर अपनी बात जोर–जोर से कहने लगे।

श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 34 मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए स्थगित की।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त होने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर नेता सदन के उत्तर से असंतुष्ट होकर भाजपा के सभी सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे। जिससे **घोर व्यवधान** होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के मध्य कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

श्री गणेश गोदियाल, सदस्य, विधान सभा ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

'वेल' में खड़े भाजपा के सभी सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।

पेयजल मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मदन कौशिक, श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा ने विचार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। **प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–26, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

पेयजल मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा के भाषण से आरम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये:–

2. श्री विशन सिंह चुफाल,
3. श्रीमती अमृता रावत,
4. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल,
5. श्रीमती सरिता आर्या,
6. श्री दलीप सिंह,

चर्चा के मध्य श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

7. श्रीमती शैलारानी रावत,
8. श्री संजय गुप्ता,
9. श्रीमती रेखा आर्या,
10. श्री महावीर सिंह राणा,
11. श्री पुष्कर सिंह धामी,
12. श्री ललित फर्स्वाण,
13. श्री यतीश्वरानन्द,
14. श्री चन्दन राम दास,
15. श्री प्रेम सिंह,
16. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,
17. श्री विक्रम सिंह नेगी,
18. श्री आदेश चौहान,
19. श्रीमती ममता राकेश,
20. श्री चन्द्रशेखर,
21. श्री पूरन सिंह फर्त्याल,
22. श्री दान सिंह भण्डारी,

श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक पर सामान्य **चर्चा जारी रहेगी।**

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से–

'' गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत देय लाभ से वंचित लाभार्थियों के संबंध में'' श्रीमती ममता राकेश की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है तथा

''प्रदेश में टी0ई0टी0 पास प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में'' श्री प्रेमचन्द अग्रवाल की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही 06 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुईं।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।